

डिक्री बमुकदमें ईबदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 236/2023 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

दर्शनसिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख साकिन वार्ड नो 21 प्रियदर्शनी स्कुल के पास
सुरतगढ तहसील सुरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

-वादी

बनाम

तहसीलदार(राजस्व) पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री सुनील देहडू वकील-वादी
पेरोकार राज-प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- 18/2/2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री सुनील देहडू वकील वादी व पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व पल्लू उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि ग्राम मोटेर के खाता संख्या 351/307 के खसरा संख्या 109 की 7.8410है0, 26 की 3.9840है0, 47 की 0.569है0 कुल 12.3940है0 बारानी भुमि मे से हिस्सा 1265/12394 वादी के नाम दर्ज है तथा इसी ग्राम मोटेर के खाता संख्या 354/259 के खसरा संख्या 1239/583 की 12.760है0 बारानी भुमि मे से हिस्सा 2529/12760, तथा ग्राम मोटेर के खाता संख्या 355/126 के खसरा संख्या 197 की 7.3350है0 बारानी भुमि मे से हिस्सा 2783/7335, ग्राम बन्नासर के खाता संख्या 219/264 के खसरा संख्या 772/456 की 1.7830है0, ग्राम बन्नासर के खाता संख्या 220/356 के खसरा संख्या 328 की 1.4800है0 बारानी, ग्राम बन्नासर के खाता संख्या 221/56 के खसरा संख्या 329 की 1.7710है0 बारानी, ग्राम बन्नासर के खाता संख्या 290/278 के खसरा संख्या 779/468 की 6.3230है0 बारानी भुमि मे से हिस्सा 2024/6323 हिस्सा खातेदारी भुमि में दर्ज वादी के पुत्र का नाम मनसवजीत सिंह पुत्र नवदीप के स्थान पर मनसवजीत सिंह पि0मु0 दर्शनसिंह दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18/2/2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

